बिहार परिचारिका निबंधन परिषद्, पटना

नया सचिवालय, तीसरा तल्ला, कमरा संख्या 330 (A)
बेली रोड, पटना 800 015, (बिहार)
फोन नंबरः 0612-2215001 ईमेल आई.डी.: registar.bnrc@gmail.com

पत्रांक 2176 /बी.एन.आर.सी. दिनांक 08/11/2019

—:: सहमति पत्र ::—

प्रेषक,

निबंधक,
बिहार परिचारिका निबंधन परिषद्, पटना।

सेवा में,

सचिव,
नारायण नर्सिंग कॉलेज,
जमुहार, रोहतास।

विषय :— सहमति पत्र के संबंध में।

प्रसंग :— स्वास्थ्य निदेशालय, बिहार सरकार आदेश ज्ञापांक 1365(6), दिनांक 05.11.2019.

महाशय,

उपर्युक्त विषयक, आपके पत्रांक NNC/SO/019/813, दिनांक 06.11.2019 के आलोक में सूचित करना है कि स्वास्थ्य निदेशालय, बिहार सरकार आदेश ज्ञापांक 1365(6), दिनांक 05.11.2019 के द्वारा आपके प्रशिक्षण संस्थान को एम0एस0सी0(नर्सिंग) प्रशिक्षण पाठ्यक्रम में 1. Medical Surgical -10 (Ten), 2. Obstetrics & Gynecology-05 (Five), 3. Pediatric Nursing-05(Five), 4. Community Health Nursing- 05(Five), 5. Psychiatric Nursing-05(Five) कुल 30 (तीस) सीटों के साथ नामांकन लेने हेतु एक सत्र के लिए मान्यता प्रदान की गई है।

उपरोक्त विभागीय पत्र के सन्दर्भ में बिहार परिचारिका निबंधन परिषद, पटना की सहमति के साथ एक सत्र (2019—2020) का निर्धारण किया जाता है।

विश्वासभाजन

ह/0—
निबंधक,
बिहार परिचारिका निबंधन परिषद्, पटना।

ज्ञापांक :—सं0सं0—319/बी0एन0आर0सी0/2019 2176 /स्वा0, पटना, दिनांक 08/11/2019
प्रतिलिपि :— सचिव, भारतीय उपचर्या परिषद्, नई दिल्ली, को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

08/11/19
निबंधक,
बिहार परिचारिका निबंधन परिषद, पटना।
08/11/19

बिहार सरकार
स्वास्थ्य निदेशालय
आदेश

आ0सं0–6 / एन0–08–231 / 2018–........ / पटना–15, दिनांक–........................

विभागीय आदेश ज्ञापांक–1503(6), दिनांक–26.12.2018 द्वारा नर्सेज ट्रेनिंग रिकोगनिशन, एफिलिएशन एवं कंडक्ट ऑफ एक्जामिनेशन्स ऑफ नर्सिंग रूल्स, 1997 के नियम–4(ii) के आलोक में देव मंगल मेमोरियल ट्रस्ट, जी0टी0रोड, जमुहार, रोहतास–821305 द्वारा प्रस्तावित नारायण नर्सिंग कॉलेज, जमुहार, सासाराम के नाम से एम0एस0सी0 (नर्सिंग) संस्थान की स्थापना के लिए अनुमति प्रदान किया गया।

2 – विभागीय आदेश ज्ञापांक–240(6), दिनांक–14.02.2019 द्वारा मान्यता प्रदान किए जाने के संबंध में डॉ0 देवेन्द्र कुमार गुप्ता, अपर निदेशक, मुख्यालय, स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार, पटना की अध्यक्षता में विशेषज्ञ समिति का गठन किया गया। विशेषज्ञ समिति द्वारा भारतीय उपचर्या परिषद, नई दिल्ली एवं राज्य सरकार द्वारा निर्धारित मानकों के अनुरूप उपलब्ध भौतिक संसाधनों, मानव संसाधनों तथा अन्य सुविधाओं की जांच एवं निरीक्षण कर प्रतिवेदन समर्पित किया गया।

3 – विशेषज्ञ समिति के अनुशंसा के आलोक मे सम्यक विचारोपरान्त नारायण नर्सिंग कॉलेज, जमुहार, सासाराम को नर्सेज ट्रेनिंग रिकोगनिशन, एफिलिएशन एवं कंडक्ट ऑफ एक्जामिनेशन्स ऑफ नर्सिंग रूल्स, 1997 के नियम–4 (iii) के आलोक में एम0एस0सी0 (नर्सिंग) प्रशिक्षण पाठयक्रम में (1) Medical Surgical -10 (Ten) (2) Obstetries & Gynecology -05 (Five) (3) Pediatric Nursing-05 (Five) (4) Community Nursing -05 (Five) (5) Psychiatric Nursing-05 (Five) कुल–30 (तीस) सीटो पर नामांकन लेने हेतु एक सत्र के लिए निम्न शर्तों पर मान्यता प्रदान की जाती है :–

(क) संस्थान भारतीय उपचर्या परिषद, नई दिल्ली एवं राज्य सरकार द्वारा निर्धारित मापदण्डों / निर्देशों का अक्षरशः पालन करते हुए संचालित की जायेगी। सिविल सर्जन, रोहतास समय–समय पर संस्थान की गुणवत्ता का निरीक्षण करेंगे तथा भारतीय उपचर्या परिषद् की अर्हताओं की अवहेलना होते ही संस्थान की मान्यता रद्द कर दी जायेगी।

(ख) नर्सेज ट्रेनिंग रिकोगनिशन, एफिलिएशन एवं कंडक्ट ऑफ एक्जामिनेशन्स ऑफ नर्सिंग रूल्स, 1997 एवं समय–समय पर सरकार द्वारा लागू की गयी नियमावली में निहित प्रावधानों का अनुपालन संस्थान द्वारा किया जायेगा।

(ग) उक्त संस्थान भारतीय उपचर्या परिषद, नई दिल्ली द्वारा निर्गत अद्यतन दिशा–निर्देश के आलोक में अपना निरीक्षण करा लेंगे।

(घ) कुल आवंटित सीटों में से 50% छात्राओं का नामांकन सरकार के निर्णयानुसार की जायेगी।

(ङ) संस्थान विश्वविद्यालय से संबद्धता प्राप्त कर लेगी।

(च) राज्य के अन्तर्गत नर्सिंग शिक्षा मे गुणात्मक सुधार के निमित विभागीय आदेश ज्ञापांक–944(6), दिनांक–26.07.2019, 631(6), दिनांक–17.05.2019 एवं पत्रांक–991(6), दिनांक–05.08.2019 द्वारा नर्सिंग संस्थानो के लिए निर्गत दिशा–निर्देशो का अनुपालन तीन माह के अन्दर किया जाएगा। साथ ही अनापति प्रमाण पत्र प्राप्त कर निर्धारित अवधि के अन्तर्गत विभाग को समर्पित करेंगें। इसे अत्यावश्यक समझेगें एवं भविष्य में निर्गत होने वाले दिशा–निर्देशों का अनुपालन संस्थान अनिवार्य रूप से करेगी।

(छ) संस्थान की प्रशासी इकाई मे (i) क्षेत्रीय अपर निदेशक, स्वास्थ्य सेवाएँ, पटना प्रमंडल, पटना (ii) सिविल सर्जन, रोहतास तथा (iii) अपर मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, रोहतास को सदस्य मनोनीत किया जाता है।

4 – आदेश मे सरकार का अनुमोदन प्राप्त है।

ह0 / –
(डॉ0 तपेश्वर प्रसाद)
निदेशक प्रमुख,
स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार, पटना।